राजस्थान सरकार

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़) राज०
पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या	रजू दिनांक	अन्तिम निर्णय
249 / 2023	14.06.2023	05.02.2025

उनवान

1 श्रीमती कमलेश पत्नी महेन्द्रसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम प्रतापसिंहपुरा तह० नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज०।

.........वादनी

बनाम

1. इन्द्रपाल पुत्र नन्दराम जाति अहीर
2. बिजेन्द्र पुत्र नन्दराम जाति अहीर
3. रामपाल पुत्र नन्दराम जाति अहीर सभी निवासी ग्राम महतावास तह० नीमराना नई तहसील मांढण जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज०।
4. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना नई तहसील मांढण (कोटपूतली–बहरोड़)
5. शाखा प्रबन्धक पंजाब नैशनल बैंक शाखा नीमराना तह० नीमराना
6. शाखा प्रबन्धक पंजाब नैशनल बैंक शाखा गिगलाना तह० मांढण

.....प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक व तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थिति:–

1. श्री पीताम्बर योग्य अधिवक्ता वादनी की ओर से

।। <u>निर्णय</u> ।।

वादनी द्वारा पेश वाद पत्र के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 1480 रकबा 0.12 है0, 1481 रकबा 0.51 है0,1482 रकबा 0.13 है0, 1483 रकबा 0.06 है0, 1484 रकबा 0.03 है0, 1485 रकबा 0.03 है0, 1486 रकबा 0.06 है0, 1487 रकबा 0.05 है0,1488 रकबा 0.11 है0, 1489 रकबा 0.12 है0,1490 रकबा 0.15 है0, 1491 रकबा 0.21 है0, 1492 रकबा 0.18 है0, 1497 रकबा 0.20 है0, 1498 रकबा 0.09 है0, 1500 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम महतावास तह0 नीमराना जिला अलवर राज0 मे स्थित है । जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 के मुताबिक उक्त वर्णित खसरा नम्बरान के वादनी हिस्सा–15 / 16 की एवं प्रतिवादी सं0 1 लगा. 3 प्रत्येक हिस्सा–1 / 48 के खातेदार मालिक काबिज है। लेकिन राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 की जाति गुर्जर दर्ज कर रखी है जबकि प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 की सही जाति अहीर है तथा उक्त खसरा नम्बरान की जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 मे प्रतिवादीगण की जाति अहीर सही अंकित है लेकिन सैग्रिगेशन जमाबन्दी मे प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 की जाति अहीर के स्थान पर गुर्जर गलत दर्ज की गई है । आराजी मुतनाजा मिन वादनी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 के बीच बिना बटी हुई सहखातेदारी की आराजी है। इसलिए जब तक आराजी मुतनाजा का विधिवत रूप से तकासमा होकर अलग–अलग खाताबन्दी नही हो जावे तब तक किसी भी सहखातेदार को आराजी मुतनाजा के किसी विशेष खसरा नम्बर या विशेष भू–भाग को अपना बताकर दिगर जगह रहन बय हिबा व अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। लेकिन फिर भी प्रतिवादी सं0 1 लगा. 3 आराजी मुतनाजा का बिना विधिवत रूप से तकासामा करवाये ही जो अधिक कीमत व अधिक पैदावार वाली भूमि है उस पर जबरन कब्जा कर, उसे अपनी बताकर दिगर जगह रहन बय हिबा व अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल करना चाहते है। जिसकी जानकारी मिन वादनी को होने पर मिन वादनी द्वारा प्रतिवादीगण को काफी समझा लिया है कि अगर आप आराजी मुतनाजा

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

मे अपने खातेदारी हिस्से का बेचान करना चाहते है तो पहले आराजी मुतनाजा का अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी के हिसाब से विधिवत रूप से तकासामा करवाले उसके बाद आपके हिस्से मे जो भूमि आवे उसका आप चाहे जैसे बेचान करो। लेकिन प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा का विधिवत रूप से तकासामा करवाने के लिए तैयार नही है और दिनांक 05.06.2023 को प्रतिवादीगण ने आराजी मुतनाजा का विधिवत रूप से तकासामा करवाने से साफ इंकार कर दिया और अच्छी से अच्छी आराजी पर जबरन कब्जा कर उसे अपनी बताकर दिगर जगह मुन्तकिल करने की धमकी दी है। इसलिए आराजी मुतनाजा अब सामूहिक रूप से काश्त किया जाना सम्भव नही रहा है। ऐसी सूरत मे आराजी मुतनजा पर कुर्रे कायम किये जाकर तहसीलदार साहब से अच्छ मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी के हिसाब से कुर्रे रिपोर्ट मंगवाई जाकर, कुर्रे रिपोर्ट के आधार पर आराजी मुतनाजा का विधिवत रूप से तकासामा किया जावे एवं प्रतिवादीगण को हुक्म ईम्तनाई दवामी से पाबन्द किये जावे.............आदि ।

वाद वादनी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किये गये। प्रतिवादी सं0 1 लगा. 6 की रजिस्टर्ड डाक से तलवी होने के बावजूद भी न्यायालय मे तारीख पेशी पर असालतन व वकालतन उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध दिनांक 04.01.2024 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई तथा पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 22.01.2024 की नियत की गई।

वादनी द्वारा अपने दावा के समर्थन मे मौखिक साक्ष्य हेतु पी.ड.–1 स्वंय वादनी कमलेश देवी का तथा पी.ड.–2 महेन्द्र पुत्र हनुमानसिंह गुर्जर का तथा पी.ड.–3 अतरसिंह पुत्र रणजीतसिंह के बयान शपथ पत्र पेश किये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे प्रदर्श–1 से प्रदर्श–4 प्रदर्शित करवाये गये। तत्पश्चात वकील वादनी ने वादनी के वाद पत्र को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाने का आग्रह किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यो का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रदर्श–1 हाल जमाबन्दी के मुताबिक दावा मे वर्णित आराजी के वादीगण एवं प्रतिवादीगण सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 की जाति हाल जमाबन्दी मे गुर्जर दर्ज है लेकिन सैग्रिगेशन जमाबन्दी से पुर्व की जमाबंदी संवत 2070 से 2073 मे प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 की जाति अहीर दर्ज है। इसलिए सैग्रिगेशन जमाबन्दी तैयार करते हुऐ प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 की जाति अहीर के स्थान पर गुर्जर गलत दर्ज किया जाना साबित होता है तथा वादनी द्वारा अपने दावा मे आराजी मुतनाजा का विभाजन कुर्रे रिपोर्ट के आधार पर करवाना अंकित किया गया है और वादनी द्वारा अपने बयानो मे भी आराजी मुतनाजा का विभाजन कुर्रे रिपोर्ट के आधार पर करने के कथन किये गये है तथा वादनी के वाद पत्र एवं बयानो की पुष्टी वादनी द्वारा पेश गवाहो ने अपने बयानो मे की गई है। इसलिए दावा मे वर्णित भूमि वादनी व प्रतिवदी सं0 1 लगा0 3 की सहखातेदारी की है जिसका विभाजन बिना कुर्रे रिपोर्ट के किया जाना सम्भव नही है। इसलिए न्याय सहित मे वादनी का वाद दिनांक 31.01.2024 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि पर कुर्रे रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय मे पेश करने का आदेश तहसीलदार नीमराना को दिये गये।

तहसीलदार मांढण द्वारा वादग्रस्त भूमि की कुर्रे रिपोर्ट मय नक्शा दिनांक 28.11.2024 को तैयार करवाकर दिनांक 29.11.2024 को इस न्यायालय मे पेश की गई। तहसीलदार द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट के विरूद्ध किसी भी खातेदार/पक्षकार द्वारा आपत्ति पेश नही की गई। तहसीलदार द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

गया । कुर्रे रिपोट राजस्व रिकार्ड के मुताबिक सही पायी जाने पर वादनी का वाद कुर्रे रिपोर्ट के आधार पर डिक्री होने योग्य पाया जाता है।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादनी तहसीलदार मांढण द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट दिनांक 29.11.2024 के मुताबिक डिक्री किया जाकर,दावा मे वर्णित खसरा नम्बर 1480 रकबा 0.12 है0, 1481 रकबा 0.51 है0,1482 रकबा 0.13 है0, 1483 रकबा 0.06 है0, 1484 रकबा 0.03 है0, 1485 रकबा 0.03 है0, 1486 रकबा 0.06 है0, 1487 रकबा 0.05 है0,1488 रकबा 0.11 है0, 1489 रकबा 0.12 है0,1490 रकबा 0.15 है0, 1491 रकबा 0.21 है0, 1492 रकबा 0.18 है0, 1497 रकबा 0.20 है0, 1498 रकबा 0.09 है0, 1500 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम महतावास तह0 नीमराना नई तहसील मांढण जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 को तहसीलदार मांढण द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट दिनांक 29.11.2024 के मुताबिक तकसीम किया जाकर खातेदारी दर्ज करने की घोषणा की जाती है तथा कुर्रे रिपोर्ट दिनांक 29.11.2024 के मुताबिक उपरौक्त खसरा नम्बरान का अलग–अलग खाताबन्दी की जाकर हाल राजस्व जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे अंकन करने एवं कुर्रे रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा के मुताबिक तितम्बा काटा जाकर हाल राजस्व नक्शा को तरमीम किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार मांढण द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट दिनांक 29.11.2024 इस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।

अंतिम निर्णय आज दिनांक 02.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

महेन्द्रसिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
(आर ए एस)
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

।। पर्चा डिक्री ।।

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, नीमराना (कोटपूतली–बहरोड) राज0
पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या	रजू दिनांक	अन्तिम निर्णय
249 / 2023	14.06.2023	05.02.2025

उनवानः

1. श्रीमती कमलेश पत्नी महेन्द्रसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम प्रतापसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

.........वादनी

बनाम

1. इन्द्रपाल पुत्र नन्दराम जाति अहीर
2. बिजेन्द्र पुत्र नन्दराम जाति अहीर
3. रामपाल पुत्र नन्दराम जाति अहीर सभी निवासी ग्राम महतावास तह0 नीमराना नई तहसील मांढण जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
4. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना नई तहसील मांढण (कोटपूतली–बहरोड)
5. शाखा प्रबन्धक पंजाब नैशनल बैंक शाखा नीमराना तह0 नीमराना
6. शाखा प्रबन्धक पंजाब नैशनल बैंक शाखा गिगलाना तह0 मांढण

.....प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक व तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थितिः–

1. श्री पीताम्बर योग्य अधिवक्ता वादनी की ओर से

।। आदेश ।।

अतः वाद वादनी तहसीलदार मांढण द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट दिनांक 29.11.2024 के मुताबिक डिक्री किया जाकर,दावा मे वर्णित खसरा नम्बर 1480 रकबा 0.12 है0, 1481 रकबा 0.51 है0,1482 रकबा 0.13 है0, 1483 रकबा 0.06 है0, 1484 रकवा 0.03 है0, 1485 रकबा 0.03 है0, 1486 रकबा 0.06 है0, 1487 रकबा 0.05 है0,1488 रकबा 0.11 है0, 1489 रकबा 0.12 है0,1490 रकबा 0.15 है0, 1491 रकबा 0.21 है0, 1492 रकबा 0.18 है0, 1497 रकबा 0.20 है0, 1498 रकबा 0.09 है0, 1500 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम महतावास तह0 नीमराना नई तहसील मांढण जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 को तहसीलदार मांढण द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट दिनांक 29.11.2024 के मुताबिक तकसीम किया जाकर खातेदारी दर्ज करने की घोषणा की जाती है तथा कुर्रे रिपोर्ट दिनांक 29.11.2024 के मुताबिक उपरौक्त खसरा नम्बरान का अलग–अलग खाताबन्दी की जाकर हाल राजस्व जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे अंकन करने एवं कुर्रे रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा के मुताबिक तितम्बा काटा जाकर हाल राजस्व नक्शा को तरमीम किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार मांढण द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट दिनांक 29.11.2024 इस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 02.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)